

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 131 / / आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/शास्त्री छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 923/अति.संचा/2019 दिनांक 14.11.18

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/शास्त्री छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु राशि रुपये 36,000/- की मांग की है ।


2. अतः पूर्व मध्यमा के लिये राशि रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) उत्तर मध्यमा के लिये राशि रुपये 27,000/- (रुपये सत्ताइस हजार मात्र) शास्त्री के लिये राशि रुपये 6,000/- (रुपये छैः हजार मात्र) कुल योग राशि रुपये 36,000/- (रुपये छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क्र	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र.	माँग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 9999 (9013) संस्कृत छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	पूर्व मध्यमा 3,000/- उत्तर मध्यमा 27,000/- शास्त्री 6,000/-
		कुल योग	राशि रुपये 36,000/-

(रुपये छत्तीस हजार मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

//2//

पृष्ठांकन क्र. 132/19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 22/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
3. कोषालय अधिकारी, उज्जैन मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन, म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 133//आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/11/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म0प्र0)

विषय:—एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आचार्य/ पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/शास्त्री छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 4542/क्षे.का./उ.शि./छा.वृ./2019 दिनांक 21.11.18

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति आचार्य/पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/शास्त्री छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 32,265/-की मांग की है ।

2. अतः आचार्य के लिये राशि रूपये 14,836/- (रूपये चोदह हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) पूर्व मध्यमा के लिये राशि रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) उत्तर मध्यमा के लिये राशि रूपये 11,642/ (रूपये ग्यारह हजार छैः सौ बयालीस मात्र) शास्त्री के लिये राशि रूपये 2,787/ (रूपये दो हजार सा सौ सत्तासी मात्र) कुल योग राशि रूपये 32,265/- (रूपये बत्तीस हजार दो सौ पैसठ मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क्र	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.	मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 9999 (9013) संस्कृत छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	आचार्य 14,836/- पूर्व मध्यमा 3,000/- उत्तर मध्यमा 11,642/- शास्त्री 2,787/-
		कुल योग	राशि रूपये 32,265/-

(रूपये बत्तीस हजार दो सौ पैसठ मात्र)

- विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


// 2 //

पृष्ठांकन क्र. 134 / 19 / आउशि / छा / 2019

भोपाल दिनांक 24/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग ग्वालियर ,म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश